केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX
एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431030
N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431030
वेबसाईट / WEBSITE : http://www.centralexciseaurangabad.gov.in
ई-मेल / E-Mail : cexauran@excise.nic.in
फोन / Phone : +91-240-2484975 फैक्स / Fax : +91-240-2476627

सेवोत्तम / SEVOTTAM
आई.एस.-15700 प्रमाणित
IS-15700 CERTIFIED

कार्यालय आदेश

कार्मिक विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2014/स्था.(रिज.), दिनांक 24.07.2015 तथा बोर्ड के पत्र फा.सं. 30013/60/2015-प्रशा.IVए, दिनांक 18.11.2016 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, औरंगाबाद में कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित अधिकारियों/स्टॉफ के अभ्यावेदनों से सम्बन्धित समस्त कार्य देखने के लिए श्री वैभवकुमार आलदर, सहायक आयुक्त, औरंगाबाद को तत्काल प्रभाव से मनोनीत करता हूँ । वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सर्विस में आरक्षण पर विवरणिका (IV संस्करण) में निहित अनुदेशों तथा समय-समय पर जारी अन्य आदेशों का सख्ती से अनुपालन हो ।

2. वे निम्नलिखित के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होंगे :-

(i) अ.पि.व. को देय अन्य लाभों तथा आरक्षण आदेशों में अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करवाना ।

(ii) नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा मंत्रालयों/विभागों को भेजे जाने वाला निर्धारित वार्षिक विवरण शीघ्र प्रस्तुत करना तथा उनकी जांच सुनिश्चित करना तथा वार्षिक विवरण समेकित कर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रेषित करना ।

(iii) आरक्षण के लिए सभी प्रस्तावों की ठीक से जांच करना तथा पूर्ण संतुष्टि के बाद यह प्रमाणित करना कि अनारक्षण अपरिहार्य है तथा इस सम्बन्ध में निर्धारित सभी कदम ईमानदारी से उठाए गए है ।

(iv) वांछित सूचना की पूर्ति करना, सवालों के जवाब देने तथा संदेहों के समाधान के लिए मंत्रालयों/विभागों/संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा कार्मिक विभाग के बीच सम्बन्ध स्थापित करना ।

(v) संधारित रोस्टर का वार्षिक निरीक्षण करना तथा इस प्रकार के निरीक्षणों का रिकॉर्ड रखना (रोस्टर के निरीक्षण के लिए प्रारूप परिशिष्ट-10 में दिया गया है) ।

(vi) अ.पि.व. के लिए आयुक्त को उनके कर्त्तव्यों एवं कार्यों के निर्वहन में आवश्यक सहायता करना ।

पृष्ठ सं. 02 पर लगातार...

3. सम्पर्क अधिकारी को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में अधीक्षक (सत.), प्रशासनिक अधिकारी (गोप.) तथा प्रशासनिक अधिकारी (मु.) सहायता करेंगे ।

4. इसे आयुक्त, औरंगाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

ह./-05.01.2017
(अशोक कुमार)
संयुक्त आयुक्त (का. व स.)

फा.सं. II/39-29/स्था./84
औरंगाबाद, 05 जनवरी 2017
प्रति प्रेषितः-

1. उप सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, के.उ.शु. तथा सी.शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली ।
2. अवर सचिव (प्रशा.III.ए), के.उ.शु. तथा सी.शुल्क बोर्ड, जीवनदीप भवन, चौथी मंजिल, कमरा सं. 28, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
3. मुख्य आयुक्त, के.उ.शु. तथा सीमा शुल्क, नागपुर प्रक्षेत्र ।
4. अ.पि.व. का आयुक्त, पश्चिमी खण्ड सं.01, सातवां स्कंध, पहला तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली ।
5. सभी अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, औरंगाबाद ।
6. सभी संयुक्त/सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, औरंगाबाद ।
7. व.नि.सचिव/मु.ले.अ./वे.ले.अ/अधी.(सत.)/गोप. ।
8. सभी मण्डल/अनुभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क, औरंगाबाद ।
9. महा सचिव, अ.पि.व. संगठन, औरंगाबाद।
10. वैयक्तिक अधिकारी ।